सत्यमेव जयते

न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन

COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment
भारत सरकार / Government of India

केस संख्या: 5126 / 1022 / 2015 दिनांकः– 15.06.2016

के मामले में

श्री नवीन कुमार, D126
ईमेल nknavinkumar469@gmail.com ..... शिकायतकर्ता

बनाम

अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक,
इलाहाबाद बैंक, D127
मुख्य कार्यालय,
2 एन एस. रोड,
कोलकाता – 700 001 ..... प्रतिवादी

सुनवाई की तारीखः 18.04.2016, 24.05.2016

उपस्थितः
18.04.2016

1. श्री नवीन कुमार, शिकायतकर्ता ।
2. प्रतिवादी अनुपस्थित ।

24.05.2016

1. श्री नवीन कुमार, शिकायतकर्ता ।
2. श्री श्याम शंकर, प्रतिवादी की ओर से ।

आदेश

उपरोक्त शिकायतकर्ता, जोकि 50 प्रतिशत अस्थिबाधित व्यक्ति है, ने निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995, जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है, के तहत स्थानान्तरण से संबंधित शिकायत दिनांक 02.09.2015 इस न्यायालय में प्रस्तुत की।

2. शिकायतकर्ता का कहना है कि उनका एक हाथ कटा हुआ है जिससे प्रत्येक दिन के दैनिक कार्य, जैसे नित्य क्रिया, कपड़े पहनना, इन सभी में दूसरे के सहारे की आवश्यकता पड़ती है । दिनांक 07.03.2015 को उनका स्थानान्तरण पटना मंडल प्रमुख द्वारा भागलपुर मंडलान्तर्गत किया गया । भागलपुर मंडल में पहले उन्हें शेखपुरा शाखा दिया गया जोकि पटना से 150 किलोमीटर दूर था । फिर दो महीने

सरोजिनी हाउस, 6, भगवान दास रोड, नई दिल्ली–110001; दूरभाषः 23386054, 23386154; टेलीफैक्स : 23386006
Sarojini House, 6, Bhagwan Dass Road, New Delhi-110001 ; Tel.: 23386054, 23386154 ; Telefax : 23386006
E-mail: ccpd@nic.in ; Website: www.ccdisabilities.nic.in
(कृपया भविष्य में पत्राचार के लिए उपरोक्त फाईल / केस संख्या अवश्य लिखें)
(Please quote the above file/case number in future correspondence)

के बाद उनका स्थानान्तरण किशनगंज शाखा जो पटना से 450 किलोमीटर दूर है, में कर दिया गया है । उन्होंने अनुरोध किया है कि उनका स्थानान्तरण पुनः पटना मंडल में किया जाए ताकि वे परिवार के साथ रहकर अपनी सेवाएं बैंक को दे सकें ।

3. मामला प्रतिवादी के साथ इस न्यायालय के पत्र दिनांक 22.09.2015 के द्वारा उठाया गया । इसके पश्चात् दिनांक 08.01.229.10.2015 को एक स्मरण–पत्र भी जारी किया गया ।

4. प्रतिवादी ने अपने पत्र क्रमांक पी.ए. / प्रोम / आई.आर. / एस.सी.–11 / 0315 दिनांक 12.11.2015 द्वारा सूचित किया कि शिकायतकर्ता की नियुक्ति बैंक सेवा के लिए सन् 1992 में अधिकारी के रूप में की गई थी । सेवा नियमों के अनुसार किसी भी अधिकारी का स्थानांतरण पूरे भारत के किसी भी स्थान पर किया जा सकता है परन्तु संबंधित अधिकारी द्वारा उनकी विकलांगता के कारण होने वाली असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बैंक सेवा में नियुक्ति उपराजत सामान्यतः उनकी पदस्थापना स्थायी निवास के आस–पास के क्षेत्रों में सुविधाजनक स्थान पर की गई ताकि उन्हें किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े तथा उनकी उच्चतम स्केल (स्केल–2) में पदोन्नति होने पर भी इसका पूर्णतः ध्यान रखा गया । अभी हाल में प्रबंधकीय पदो के लिए हुए स्थानांतरण के दौरान श्री कुमार की पदस्थापना प्रशासनिक आवश्यकता एवं उनकी कार्यक्षमता में गुणात्मक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए ही भागलपुर मंडल (उनके गृह मंडल के नजदीकी मंडल) में की गई है जोकि उनका गृह राज्य भी है । यपपि, उनके निवेदन को ध्यान मे रखते हुए प्रशासनिक आवश्यकतानुसार उचित अवसर पर उनके स्थायी निवास स्थल के आस–पास पुनः पदस्थापना हेतु विचार किया जाएगा ।

5. प्रतिवादी से प्राप्त उत्तर दिनांक 12.11.2015 की प्रति शिकायतकर्ता को इस न्यायालय के पत्र दिनांक 07.12.2015 को उनके टिप्पण / रिज्वाइंडर हेतं प्रेषित की गई थी ।

.....3 / –

6. शिकायतकर्ता ने अपने रिज्वाइंडर दिनांक 10.12.2015 द्वारा निवेदन किया कि बैंक में वे सन् 1992 में अधिकारी के रूप में नहीं बल्कि लिपिक–सह–रोकड़िया पद पर नियुक्त हुए थे । बाद में सन 2004 में अधिकारी के रूप मे प्रोन्नत हुए । वे बैंक के एक आम अधिकारी / प्रबंधक हैं एवं किसी भी कार्य के लिए विशिष्ट योग्यता प्राप्त नहीं की है, इस स्थिति में उनकी ऐसी कौन सी गुणवत्ता वृद्धि हेतु बैंक को महसूस हुआ जिसके लिए उनका पटना मंडल से भागलपुर मंडल में स्थानान्तरण किया गया । बैंक की ऐसी कौन सी प्रशासनिक बाध्यता थी जिसके कारण उन्हें सैंकड़ों प्रबंधक एवं अधिकारियों को छोड़कर एक विकलांग व्यक्ति के स्थानान्तरण करने की आवश्यकता हुई ।

7. शिकायतकर्ता के पत्र दिनांक 10.12.2015 के मद्देनज़र मामले की सुनवाई दिनांक 16.03.2016 को निर्धारित की गई ।

8. दिनांक 16.03.2016 को शिकायतकर्ता की ओर से सुनवाई के दौरान कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही सुनवाई में भाग लेने में उनकी असमर्थता के बारे इस न्यायालय में कोई सूचना प्राप्त हुई, बावजूद इसके कि सुनवाई का नोटिस दिनांक 29.02.2016 को स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा गया था ।

9. प्रतिवादी के प्रतिनिधि का कहना है कि श्री नवीन कुमार, शिकायतकर्ता ने दिनांक 20.12.2015 को उप महाप्रबंधक, ज़ोनल कार्यालय, रांची को अपना स्थानान्तरण रांची ज़ोन में करने के लिए प्रार्थना की थी । उनका कहना है कि सहायक महाप्रबंधक (मा. सं.) ने अपने पत्र दिनांक 10.03.2016 द्वारा सूचित किया है कि शिकायतकर्ता के अनुरोध पर उनका स्थानान्तरण रांची ज़ोन में कर दिया गया है । उनका यह भी कहना है कि चूंकि शिकायतकर्ता की शिकायत का निवारण हो गया है, अतः मामले को बंद कर दिया जाए ।

10.. मामले में अंतिम निर्णय लेने से पहले शिकायतकर्ता को उनकी शिकायत दिनांक 20.12.2015 तथा सहायक महाप्रबंधक (मा.सं.), इलाहाबाद बैंक के पत्र

.....4 / –

दिनांक 10.03.2016 की प्रतियां भेजते हुए उन्हें निर्देश दिया जाता है कि इस न्यायालय को इस कार्यवाहियों के अभिलेख की प्राप्ति के 20 दिनों के भीतर मामले की वस्तु–स्थिति से अवगत कराएं । मामला अगली सुनवाई के लिए दिनांक 18.04.2016 को निर्धारित किया जाता है ।

11. दिनांक 18.04.2016 को प्रतिवादी की ओर से सुनवाई के दौरान कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही सुनवाई में भाग लेने में उनकी असमर्थता के बारे इस न्यायालय में कोई सूचना प्राप्त हुई, बावजूद इसके कि दिनांक 16.03.2016 को हुई सुनवाई के दौरान ही प्रतिवादी के प्रतिनिधि को सुनवाई की अगली तिथि बता दी थी तथा सुनवाई हेतु कार्यवाहियों का अभिलेख दिनांक 16.03.2016 को स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा गया था । प्रतिवादी द्वारा सुनवाई में भाग लेने में अपनी असमर्थता सूचित न करके और न ही उपस्थित होकर मामले में अपने पक्षकथन को रख कर जो अवज्ञा दर्शित की है, उसे इस न्यायालय ने गंभीरता से लिया है ।

12. शिकायतकर्ता जोकि अस्थिबाधित व्यक्ति (एक हाथ) है, ने अपने लिखित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उन्होंने अपनी मूल शिकायत में पटना में स्थानान्तरण करने के लिए निवेदन किया था ताकि वह अपने परिवार के साथ रह सके । उनका कहना है कि एक हाथ न होने के कारण उन्हें अपने दिन प्रतिदिन के दैनिक कार्यों में काफी परेशानी होती है क्योंकि वे अपने परिवार से दूर रह रहे हैं । उनका कहना है कि वे स्वयं भी एक विकलांग व्यक्ति हैं और उनकी एक पुत्री गंभीर रोग से ग्रस्त है, जिसके अकस्मात सदमे से उसका सारा शरीर नीला पड़ जाता है । उनके अनुसार उनके चार बार स्थानान्तरण किए गए हैं । वे स्वयं भी बीमार होने के कारण काफी दिनों तक छुट्टी पर रहे । पटना स्थानान्तरण न होने पर वे मानसिक रूप से काफी परेशान थे, इसलिए उन्होंने उप महाप्रबंधक, जोनल कार्यालय, रांची को अपना स्थानान्तरण अस्थायी रूप से रांची जोन में करने के लिए प्रार्थना की थी और उनका स्थानान्तरण रांची जोन में कर दिया गया था । इन दिनों वे रांची में ही तैनात हैं । शिकायतकर्ता ने आगे निवेदन किया कि उनकी मूल

.....5 / –

शिकायत पटना में स्थानान्तरण के लिए थी, जिसका निवारण अभी तक नहीं हुआ है । उनका स्थानान्तरण पटना लोकल की किसी भी शाखा में करने के लिए आदेश दिया जाए ताकि वे अपने परिवार के साथ रहकर बैंक की और तत्परता से सेवा कर सकें ।

13. प्रतिवादी की तरफ से प्रतिवादी का कथन रखने के लिए किसी के उपस्थित न होने के कारण मामले की अगली सुनवाई दिनांक 24.05.2016 निर्धारित की जाती है । सुनवाई के दिन किसी भी पक्ष के उपस्थित न होने पर यह न्यायालय फाइल में उपलब्ध दस्तावेज़ों के आधार पर मामले में अंतिम निर्णय ले लेगा ।

14. दिनांक 24.05.2016 को शिकायतकर्ता ने अपने लिखित कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि उन्होंने अपनी विकलांगता के कारण स्थानान्तरण के लिए आवेदन दिया था लेकिन उनका रांची स्थानान्तरण कर दिया गया । करीब डेढ़ साल हो गया है लेकिन अभी तक उनके गृह स्थान के नज़दीक स्थानान्तरण नहीं किया गया है । अतः उनकी प्रार्थना है कि उनका स्थानान्तरण पटना मंडल में उनके गृह स्थान के नजदीक कर दिया जाए ।

15. बैंक की ओर से उपस्थित होने वाले प्रतिनिधि ने निवेदन किया कि पिछली सुनवाई की तारीख को अगली सुनवाई की तारीख सूचित नहीं की गई थी और यह कहा गया था कि कार्यवाहियों के अभिलेख में आगामी सुनवाई की तारीख सूचित कर दी जाएगी । इस कारण वे सुनवाई की तारीख 18.04.2016 को उपस्थित नहीं हो सके । उन्होंने आगे निवेदन किया कि उनके निवेदन को ध्यान में रखते हुए प्रशससनिक आवश्यकतानुसार उचित अवसर पर उनके स्थायी निवास स्थल के आस–पास पुनः पदस्थापना हेतु विचार किया जाएगा ।

16. दोनों पक्षों को सुनने के उपरान्त यह न्यायालय प्रतिवादी को निर्देश देता है कि अगले माह होने वाले वार्षिक आम स्थानान्तरण प्रक्रिया में वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या 3/13/2014–कल्याण दिनांक 18.11.2014 पर विचार

....6/–

करते हुए शिकायतकर्ता का स्थानान्तरण पटना में उनके गृह स्थान के नज़दीक किया जाए । मामले की अनुपालना रिपोर्ट इस न्यायालय को 45 दिनों के भीतर भेजी जाए ।

17. मामले का तदनुसार निपटारा किया गया ।

(कमलेश कुमार पाण्डे)
मुख्य आयुक्त, निःशक्तजन

मूल प्रति पर नहीं :

प्रतिलिपिः– रिकार्ड फाइल ।